राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

ठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर– 38 / 2021

CMS No. 2021/83

1. दाना पुत्र भूरा
2. सोभा पुत्र भूरा
3. रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. चूना
4. मखनलाल पुत्र स्व. चूना
5. काशीराम पुत्र स्व. चूना
6. श्रीराम पुत्र स्व. चूना
7. पताशी देवी पत्नी घड़सी
8. लालचन्द पुत्र घड़सी
9. सावरमल पुत्र घड़सी
10. दलीप पुत्र घड़सी
11. माया पुत्री घड़सी

जाति माली निवासी ढाणी जलवाला गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

<u>ब–ना–म</u>

1. अणची पुत्री रूपा पत्नी गोरधन जाति माली निवासी दीपपुरा तह0 उदपुरवाटी
2. अमरसिंह पुत्र बीरजु
3. ओमप्रकाश पुत्र बाबुलाल
4. कुशला पुत्र रूपा

   जाति माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. गिरधर पुत्री भागू पत्नी राजेन्द्र जाति माली निवासी ढाणी कोठी की तन् सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
6. गीता पुत्री रूपा पत्नी प्रहलाद जाति माली निवासी ककराना तहसील उदयपुरवाटी
7. घड़सी पुत्र रूपा
8. जगदीश पुत्र ईश्वर
9. जालम पुत्र रूपा
10. दुर्गी देवी पत्नी मूलचन्द
11. दुर्गी देवी पत्नी भागू

    जाति माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
12. धोली पुत्री भागू पत्नी विनोद माली निवासी कोठी की ढाणी तन् सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. नाथी पुत्री जोधा पत्नी महाबीर प्रसाद माली निवासी गोठड़ा तहसील खेतड़ी
14. प्रेम पुत्री बिरजू पत्नी सीताराम माली निवासी सालोदड़ा रामसिंह की ढाणी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
15. फूलचन्द पुत्र रूपा

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

16. बनारसी देवी पत्नी बिरजू
जाति माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
17. बिमला पुत्री जोधा पत्नी बेणीशंकर जाति माली वार्ड नं. 22 खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
18. मखन पुत्र भागू माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी
19. मनोहरी पुत्री भागू पत्नी हरूजी माली निवासी ढाणी तिलोसियां वाली तन् चोकड़ी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राज0
20. महाबीर पुत्र ईश्वर
21. मालाराम पुत्र जोधा
जाति माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
22. शीशराम
23. लालचन्द
24. मखन पुत्रान मोहरली पुत्री रूपा पत्नी भाताराम निवासी नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी
25. मेवा पुत्री मोहरली पुत्री रूपा पत्नी बन्सी
26. बुला पुत्री मोहरली पुत्री रूपा पत्नी नागर
जाति माली निवासी ढाणी तन् सिंघाना तहसील बुहाना
27. रामकोरी पत्नी नाथुराम
28. बसन्ती पत्नी मालाराम
29. धन्डी पत्नी घीसाराम पुत्रियान मोहरली जाति माली निवासी ढाणी बावड़ी तन् बबाई तह0 खेतड़ी
30. राजू पुत्र चून्नाराम
31. रामजीलाल पुत्र मूलचन्द
32. रामावतार पुत्र ईश्वर
33. रोहताश पुत्र बाबूलाल
34. लालचन्द पुत्र जोधाराम
35. लिक्ष्मण पुत्र भागू
36. श्योपाल पुत्र जोधा
37. श्रवणी देवी पत्नी बाबुलाल
38. शेरसिंह पुत्र मूलचन्द
39. शीशराम पुत्र मूलचन्द
40. सुगनाराम पुत्र मोहनलाल
जाति माली निवासी गाडराटा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
41. संजू पुत्री बिरजू पत्नी सतीश जाति माली ढाणी बनवास तन् सिंघाना तह0 बुहाना
42. संज्या पुत्री भागू पत्नी गणपत जाति माली ढाणी तिलोसिया वाली तन् चोकड़ी तहसील नीमकाथाना
43. सन्तरा पुत्री बिरजू पत्नी जयराम निवासी ढाणी रामसिंह वाली तन् सलोदड़ा तहसील नीमकाथाना
44. सुभाष पुत्र ईशर माली निवासी गाडराटा
45. सुमन पुत्री बाबुलाल पत्नी जितेन्द्र निवासी ढाणी जोड़वाली ग्राम भूदोली तहसील नीमकाथाना
46. सायरमल पुत्र बिरजू जाति माली निवासी गाडराटा
47. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबंधक पपुरना।
48. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

ATTESTED
सतीश कुमार
SATISH KUMAR
NOTARY PUBLIC
KHETRI (JJN) RAJ
28/06/2022

लालचन्द

Scanned with OKEN Scanner

दावा– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

:: निर्णय :: दिनांक : 01–02–2023

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम गाडराटा हसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2024 से 2027 के ख.नं. 382 रकबा 2 बिस्वा, 83 रकबा 3 बिस्वा, 384 रकबा 10 बिस्वा, 385 रकबा 18 बिस्वा, 1202/381 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वादी सं. 1 व 2 व 3 लगा. 6 के ति/पिता चूना व वादी सं. 7 लगा. 11 के पति/पिता घड़सी के संयुक्त खातेदारी में थी जस पर वे 40–50 वर्षो से काबिज काश्त करते आ रहे थे। उक्त भूमि में वादी सं. 1 का /4 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3 लगा. 6 का 1/4 हिस्सा, वादी सं. लगा. 11 का 1/4 हिस्सा है। उक्त हिस्से के मुताबिक वादीगण उक्त भूमि पर मौके र काबिज काश्त है। गत् खसरा नंबर 382, 383, 384, 385, 1202/381 के हाल पैमाईश हाल ख.नं. 2591/739 रकबा 0.51 है. भूमि बनकर आई है। हाल ख.नं. 2591/739 कबा 0.51 है. भूमि पर वादीगण से 1, 2 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3 लगा. 6 ा 1/4 हिस्सा व वादी सं. 7 लगा. 11 का 1/4 हिस्सा है। हाल ख.नं. 2591/739 कबा 0.51 है. भूमि प्रतिवादीगण के नाम से उनके अन्य खातेदारी के खेत के खाता सं. 3 में कुल किता 57 कुल रकबा 13.86 है. में राजस्व कर्मचारियों की भूल से दर्ज हो गई। ाल ख.नं. 2591/739 रकबा 0.51 है. भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों ने कभी ाश्त नहीं किया, न ही कभी सम्बंध सरोकार रहा। हाल ख.नं. 2591/739 रकबा 0.51 है. ूमि वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से वंचित हो जाने से वादीगण को पूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इस कारण से यह ावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि–

क) ग्राम गाडराटा में स्थित भूमि हाल खाता सं. 43 में स्थित भूमि हाल ख.नं. 591/739 रकबा 0.51 है. भूमि का वादी सं. 1 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1/4 हिस्सा, वादी सं. 3 लगा. 6 को 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. लगा. 11 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

ख) ग्राम गाडराटा में स्थित भूमि हाल खाता सं. 43 में दर्ज भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके ारिशों के नाम से उनके खाते से हाल ख.नं. 2591/739 रकबा 0.51 है. भूमि हटाई ाकर उनका रकबा राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी ी गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध कपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2028–31, ंवत् 2032–35, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2043, संवत् 2024–27 प्रदर्श–1), नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2), नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 (प्रदर्श–3), कल नक्शा किश्तवार, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2032–35, संवत् 028–31 पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र लालचन्द पुत्र घड़सी (पी.डब्ल्यू.–1) ा भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2024–27 (प्रदर्श–1) के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गत् खसरा नंबर 382, 383, 384, 385, 1202/381 कुल किता 2 बीघा 3

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

स्वा चुना सोभा दाना घडसी पि0 भूरा मालीयान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है जो दीगण के हकपूर्वाधिकारी हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के गत् खसरा नंबरान से हाल खसरा बर 2591/739 निर्मित हुआ है जो नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–2) से सावित है। हाल सरा नंबर 2591/739 रकबा 0.51 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 46 के नाम र्ज हो गई जो दुरूस्ती योग्य है। अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार कर क्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः **ग्राम गाडराटा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 51 में दर्ज कुल सरा किता 57 कुल रकबा 13.86 है. में खसरा नंबर 2591/739 रकबा 0.51 है. की तेदारी हद तक प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 46 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि सरा नंबर 2591/739 रकबा 0.51 है. का वादी सं. 1 को 1/4 हिस्से का, वादी सं. 2 1/4 हिस्से का, वादीगण सं. 3 लगा. 6 को 1/4 हिस्से का एवं वादीगण सं. 7 लगा. को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड स्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

। अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

दाना आदि

ब–ना–म

अणची आदि

त **घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती**

नम्बर :– **38/2021**

नांक :– **01–02–2023**

ादीगण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर
ी उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01–02–2023** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे
ाश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

**तः ग्राम गाडराटा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या 51 में दर्ज कुल
ता 57 कुल रकबा 13.86 है. में खसरा नंबर 2591/739 रकबा 0.51 है. की
हद तक प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 46 का नाम हजफ किया जाकर उक्त भूमि
र 2591/739 रकबा 0.51 है. का वादी सं. 1 को 1/4 हिस्से का, वादी सं. 2 को
से का, वादीगण सं. 3 लगा. 6 को 1/4 हिस्से का एवं वादीगण सं. 7 लगा. 11 को
से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार रिकार्ड राजस्व
ये जाने का आदेश दिया जाता है।"**

ी पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख **01–02–2023** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner